



DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY  
(दिल्ली विकास प्राधिकरण)  
(CONFIDENTIAL BRANCH)  
(गोपनीय शाखा)

संस्थापना आदेश संख्या: 320

दिनांक: 20/4/2022

वरिष्ठ स्तर की अनुवीक्षण समिति की सिफारिशों के आधार पर अभियंता सदस्य, दि.वि.प्रा., निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ताओं [अब सहायक अभियंता (सिविल)/ अधिशासी अभियंता (सिविल)] को एम.ए.सी.पी. योजना के अंतर्गत 30 वर्ष की अवधि पूरी होने पर सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल-9 (₹53,100-1,67,800/-) में (जो कि छठे वेतन आयोग में ₹9300-34800/- के पे बैंड में ₹5400/- के ग्रेड पे था) तृतीय वित्तीय अभिवृद्धि प्रदान करते हैं।

क्रम सं०	कर्मचारी का नाम	तृतीय एम.ए.सी.पी. प्रदान करने की तिथि	तैनाती स्थान
1.	श्री विकार अली सुपुत्र श्री इफ्तिखार हुसैन [Viqar Ali S/o Shri Ifthikar Hussain] अब अधिशासी अभियंता (सिविल)	06.03.2015	अधिशासी अभियंता [स्पॉर्ट्स]-1
2.	श्री कृष्ण कुमार तायल सुपुत्र श्री राम भगत तायल [Krishan Kumar Tayal S/o Shri Ram Bhagat Tayal] अब सहायक अभियंता (सिविल) (सेवानिवृत्त)	08.03.2015	सेवानिवृत्त

2. अधिकारी अपनी पदोन्नति/प्रोन्नति की तिथि से या अगले वेतन वृद्धि की तिथि से उच्च पद/ग्रेड पे के वेतन निर्धारण के विकल्प का चुनाव एफ.आर. 22(1)(ए)(1) के अंतर्गत कर सकते हैं। वेतन और वेतन वृद्धि की तिथि व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं० 1/1/2008-आई.सी. दिनांक 13.09.2008 के स्पष्टिकरण सं०-2 के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

3. एम.ए.सी.पी. योजना के अंतर्गत वित्तीय अभिवृद्धि कार्यालय ज्ञापन सं० 35034/3/2000/ ईस्ट(डी) दिनांक 19.05.2009 तथा संख्या आदेश 2157 दिनांक 29.10.09 द्वारा परिचालित आदेश में दी गई शर्तों के आधार पर दी जाती है।

4. इस आदेश के जारी होने के 30 दिन के अन्दर वे एफ.आर. 22(1)(ए)(1) के प्रावधान के अनुसार अपने वेतन निर्धारण के विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं।

(प्रमोद कुमार)  
उप निदेशक (गोपनीय)

सं०: एफ. 21(07)2022/सी.सी./ 328

दिनांक: 20/4/2022

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. अभियंता सदस्य, दि. वि. प्रा. के निजी सचिव।
2. आयुक्त (कार्मिक), दि. वि. प्रा. के निजी सचिव।
3. निदेशक (कार्मिक)-1/(सतर्कता)-1 एवं 2, दि.वि.प्रा.।
4. उप-निदेशक (कार्मिक)-1, दि.वि.प्रा.।
5. संबन्धित वरिष्ठ लेखाधिकारी (के. ले. ई.) प्रोजेक्ट/स्पॉर्ट्स व (पेंशन)-1, दि.वि.प्रा., को इस अनुरोध के साथ कि वे एम.ए.सी.पी. के प्रावधान के अनुसार सेवा-पुस्तिका से अधिकारी की पात्रता तिथि/वेतनमान को सत्यापित कर लें। यदि कोई विसंगति हो तो तत्काल इस कार्यालय/कार्मिक शाखा-1 को सूचित करें।
6. सहायक निदेशक (गोपनीय रिपोर्ट)-2/पी.आई.एम.एस., दि.वि.प्रा.।
7. सहायक निदेशक (कार्मिक शाखा)-1, दि.वि.प्रा., को इस अनुरोध के साथ कि वे सेवानिवृत्त अधिकारी को यथाशीघ्र सूचित करें।
8. उपरोक्त अधिकारीगण।
9. संस्थापना आदेश पुस्तिका।

सहायक निदेशक (गोपनीय)